न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 37/2020

उनवान

1. गोपीराम पुत्र भोलूराम,
2. अर्जुन पुत्र हनुमान,
3. जगदीश पुत्र हनुमान,
4. श्रवण पुत्र छाजूराम,
5. सूजी देवी पत्नी छाजूराम,
6. रामली देवी पत्नी बनवारी लाल,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार, उप–तहसील गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर.।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 11.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 140 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 1.86 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर है, जिसमें प्रार्थीगण बुजुर्गो के समय से ही खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं। उक्त खातेदारों के अलावा अन्य खातेदारों के कृषि उपज लाने ले जाने तथा कृषि कार्य हेतु आने–जाने वाले साधनों तथा आमद रफत हेतु, एकमात्र रास्ता जिसके गत खसरा नम्बर 13 की किरम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं, लेकिन हाल बने खसरा नम्बर 92 की किस्म सिवायचक चाही–3 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं और नक्शा ट्रेस में रास्ता दर्ज हैं।

प्रार्थीगण खातेदारों के अलावा आस पास के लगभग 50 परिवारों के आमद रफत हेतु उक्त खसरा नम्बर में स्थित एकमात्र रास्ता हैं जो खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 लगायत 2023 में उक्त खसरा नम्बर 92 गत खसरा नम्बर 13 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी, जो वर्तमान भू–प्रबन्ध तक बदस्तूर रही, लेकिन हाल भू–प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 13 के हाल बने खसरा नम्बर 92 को राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में गत अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दिखाया गया हैं, लेकिन जमाबन्दी में उक्त रास्ते की किस्म चाही–3 सिवायचक कर दी गई, जिस कारण गैर मुमकिन रास्ते की किस्म परिवर्तन के कारण रास्ते पर आस पास के खातेदार अतिक्रमण की कुचेष्टा करते रहते हैं।

उक्त गैर मुमकिन रास्ते की किस्म चाही–[illegible] कारण अतिक्रमण होने पर प्रार्थीगण व अन्य खातेदारों के अपने कृषि कार्य व आमद रफत में परेशानी होने पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आपके [illegible] दिनांक 21.10.2020 को रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया, लेकिन भू–प्रबन्ध के दौरान कर्मचारियों के सहवन से रास्ते की किस्म परिवर्तन होने की तकनीकी बाध्यता के कारण राज्य सरकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

11/11/21

Scanned with CamScanner

किसी भी योजना या मद में पक्की सडक का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसे में भू–प्रबन्ध के दौरान हुई उक्त दुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक हैं।

उक्त रास्ते की किस्म परिवर्तन के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कहने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गत खसरा नम्बर 13 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के बने हाल खसरा नम्बर 92 की भू–प्रबन्ध के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटि के कारण किस्म चाही–3 को दुरूस्त करते हुए राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गत अनुरूप गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट किशनपुरा में पेश हुई। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार तहसील चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 27.08.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 92 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही–3 है जो कि वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 92 जो हाल नक्शे में डोटलाईन के रूप में रास्ता दिखा रखा है जो कि गत भू–प्रबन्ध मे गै0मु0रास्ता दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी ख0न0 92 का उपयोग रास्ते के रूप में सुचारू रूप से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी ख0न0 92 रकबा 0.09 है0 के वर्तमान रास्ते के रूप में उपयोग व गत भू–प्रबन्ध के मुताबिक किस्म गै0मु0 रास्ता किए जाने की अनुशंषा की गई है।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा0 पत्र, *दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं* व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0न0 92 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही–3 है जो कि वर्तमान में सिवायचक खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 92 जो हाल नक्शे में डोटलाईन के रूप में रास्ता दिखा रखा है जो कि गत भू–प्रबन्ध मे गै0मु0रास्ता दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी ख0न0 92 का उपयोग रास्ते के रूप में सुचारू रूप से किया जा रहा है। उक्त आराजी ख0न0 92 रकबा 0.09 है0 के वर्तमान रास्ते के रूप में उपयोग व गत भू–प्रबन्ध के मुताबिक किस्म गै0मु0 रास्ता जाना तहसीलदार चौमूं द्वारा उचित बताया गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम किशनपुरा, पटवार हल्का किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी ख0न0 92 रकबा 0.09 है0 किस्म चाही–3 को गत भू–प्रबन्ध के मुताबिक किस्म गै0मु0 रास्ता शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2021 को खुले न्याय[illegible]या गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमूं ,जयपुर

Scanned with CamScanner